

Witness no. ...01.....forबचाव साक्ष्य.....Deposition taken
the..26-09-2022.....dayof...सोमवार....Witness's apparent age.....42Y....

States on affirmation.....शपथपूर्वक..... My name is.....आशुतोष जैन
S/D/W of .- श्री महेन्द्र कुमार जैन..... occupationमैनेजर
address बैंक ऑफ बडौदा धमतरी, थाना-धमतरी , जिला -धमतरी।

समय 1.42 बजे प्रारंभ-

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री ए.के. सेन, अधिवक्ता, वास्ते आरोपी-

01.- मैं अगस्त 2022 से बैंक ऑफ बडौदा धमतरी में मैनेजर के पद पर पदस्थ हूं। मैं आज अपने साथ भव्या कन्स्ट्रक्शन का चालू खाता क्रमांक-13460200011241 का बैंक स्टेटमेंट दिनांक 01.04.2018 से 30.08.2018 तक का लेकर आया हूं। भव्या कन्स्ट्रक्शन मेरे बैंक में कम्प्यूटर रिकार्ड के अनुसार भागीदारी फर्म है। दिनांक 01.04.2019 से बैंकों का मर्जर हुआ है, उक्त दिनांक के पूर्व की सभी शाखाओं का मैनुवल मूल रिकार्ड जोनल भोपाल गया हुआ है। बैंक स्टेटमेंट प्रदर्श डी-5 है, जिसके अ से अ भाग पर हमारे बैंक के शाखा प्रबंधक श्री मृत्युंजय कटुवा के हस्ताक्षर हैं, जिसे मैं पहचानता हूं।

02.- भव्या कन्स्ट्रक्शन की ओर से दिनांक 02.06.2018 को चेक गुम होने के संबंध में एक आवेदन पत्र हमारे बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उक्त आवेदन के आधार पर चेक नंबर-578509 से लेकर 578518 कुल-10 धनादेशों के भुगतान पर रोक लगाने का निवेदन किया गया था, जिसके आधार पर हमारे बैंक द्वारा उक्त धनादेशों पर हमारे बैंक द्वारा रोक लगाई गई थी। भव्या कन्स्ट्रक्शन की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रदर्श डी-6 है, जिसके अ से अ भाग पर पर हमारे बैंक के शाखा प्रबंधक श्री मृत्युंजय कटुवा के हस्ताक्षर हैं, जिसे मैं पहचानता हूं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री किशोर ताम्रकार, अधिवक्ता, वास्ते परिवादी—

03.— यह कहना सही है कि प्रदर्श डी-5 एवं प्रदर्श डी-6 में मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं। स्वतः कहा कि मेरा सिर्फ अप्रुवल है। **प्रदर्श डी-5 एवं 6** में शाखा प्रबंधक श्री मृत्युंजय कटुवा के हस्ताक्षर हैं, वे अभी धमतरी शाखा में पदस्थ हैं।

04.— यह कहना सही है कि कोई व्यक्ति जब बैंक में खाता खुलवाता है तब व्यक्तिगत पूरी जानकारी बैंक को उपलब्ध कराता है। यह कहना सही है कि जो जानकारी बैंक के ग्राहक द्वारा भरी जाती है वह मैन्युअल होता है।

प्रश्न — किसी ग्राहक के या खातेदार के संबंध में उसके द्वारा भरे गये विवरण देखकर ही खातेदार के संबंध में बताया जा सकता है ?

उत्तर — ग्राहक द्वारा खाता खुलवाते समय फार्म भरा जाता है व उसके सर्पोट में दस्तावेज संलग्न किया जाता है, जिसके आधार पर ही खाता खोला जाता है।

05.— यह कहना सही है कि खाताधारक द्वारा प्रस्तुत किये गये फार्म एवं दस्तावेज को देखकर ही किसी खातेदार के बारे में जानकारी दी जा सकती है। यह कहना सही है कि मैं आज खातेदार का उसके द्वारा भरी गई फार्म एवं प्रस्तुत की गई दस्तावेज आज साथ लेकर नहीं आया हूँ। यह कहना सही है कि हमारे बैंक के द्वारा उक्त दस्तावेज को लाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। स्वतः कहा कि इस प्रकरण में उपस्थित होने के लिए आज के लिए हमारे पास कोई संमंस नहीं था। मैं पूर्व पेशी में आया था, तब मुझे न्यायालय से आज की तिथि दी गई थी इसलिए आज मैं आया हूँ। यह कहना सही है कि मैं आज भागीदारी फर्म होने के संबंध में कोई दस्तावेज लेकर उपस्थित नहीं हुआ हूँ।

06.— यह कहना सही है कि जब बैंक से चेक जारी किया जाता है तो बैंक की शाखा में चेक प्राप्तकर्ता के द्वारा आवेदन दी जाती है। स्वतः कहा कि उसके द्वारा मैन्युअल दी जाती

है एवं किसी खातेधारक ने नेट बैंकिंग लिया है तो ऑन लाईन अप्लाई करने पर चेक बुक उनके पते पर प्रेषित की जाती है। स्वतः कहा कि मैंनवली एप्लिकेशन आने पर रिकार्ड रहता है, और ऑनलाईन का रिकार्ड शाखा में नहीं रहता है, बैंक के पास उपलब्ध होता है। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी-6 में वर्णित धनादेशों को भव्या कन्स्ट्रक्शन को जारी किया गया है इस संबंध में कोई दस्तावेज साथ लेकर नहीं आया हूँ।

07.— यह कहना सही है कि प्रदर्श डी-6 में भव्या कन्स्ट्रक्शन भागीदारी फर्म है ऐसा उल्लेख नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी-6 के ब से ब भाग के नीचे भागीदारी फर्म नहीं लिखा है। यह कहना सही है कि खातेदार द्वारा भुगतान रोके जाने के निवेदन किये जाने पर वर्णित धनादेशों के भुगतान पर रोक लगा दी जाती है, हमारे द्वारा कोई व्यक्तिगत जांच नहीं की जाती। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी-6 के आवेदन में चेक गुमने के कथन के प्रमाण में कोई शपथ पत्र या कोई पुलिस को शिकायत या प्रथम सूचना पत्र या अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। स्वतः कहा कि खाताधारक के निवेदन के आधार पर खाते का पेमेंट स्टॉप किया जाता है, शेष कार्यवाही खातेधारक की जिम्मेदारी है। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी-6 में वर्णित चेक गुमने की जानकारी दी गई है, पेमेंट स्टॉप करने की प्रार्थना नहीं की गई है, आवेदन में एकाउंट को ब्लॉक कर निष्क्रिय किये जाने का निवेदन आवेदन के अंतिम लाईन में किया गया है। स्वतः कि यदि चेक गुमने का आवेदन आता है और खाताधारक द्वारा पेमेंट स्टॉप करने का निवेदन किया जाता है तो खाता स्टॉप कर दिया जाता है।

समय 2.00 बजे प्रतिपरीक्षण समाप्त।
मेरे निर्देश पर टंकित किया

साक्षी को पढ़ कर सुनाया,
समझाया गया सही होना स्वीकार किया।

सही /—
(श्रीमती निधि शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ0ग0)

सही /—
(श्रीमती निधि शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर(छ0ग0)